

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन

मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र निम्वाहेडा

कालुराम

बनाम

नारायण

किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 128 एल0आर0एक्ट0

नं0 53

सन् 2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जज हुक्म
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

22.06.2023

वकील प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र निम्वाहेडा में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर वहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर वहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते हैं, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन में स्थित खाता संख्या 4 के हाल आराजी संख्या 1220 रकबा 0.93 हैक्ट0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.93 हैक्ट0, कृषि भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते हैं व घुसने का प्रयास करते हैं। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते हैं, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा हडमतिया जाटान पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन में स्थित खाता संख्या 4 के हाल आराजी संख्या 1220 रकबा 0.93 हैक्ट0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.93 हैक्ट0, कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालन रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)

उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चिन्नीदर (मज)

सत्यमेव जयते

Copy - Not Official

